

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग


एफ 89(46) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022

जयपुर, दिनांक: 14.03.2023

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उप धारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में और उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा जिला आयोग के 8 सदस्यों की अधिसूचना क्रमांक एफ 89(46)उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022 दिनांक 13.03.2023 को जारी की गई थी, जिसमें संशोधन करते हुए चयनित सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री कमलेश शर्मा का नाम तुरन्त प्रत्याहरित किया जाता है तथा शेष सदस्य यथावत रहेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से




(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
(उपभोक्ता मामले)

एफ 89(46) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ

जयपुर, दिनांक: 14/03.2023

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. बरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
13. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
15. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
17. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
18. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के गजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
19. संबंधित
20. रक्षित पत्रावली।


(कालूराम)
निदेशक
उपभोक्ता मामले